<u>न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश फलोदी जिला जोधपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : मोहनलाल सोनी (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी संख्या : 02/2018

<u>निगरानीकर्ता/प्रार्थी</u>

रोशनलाल पुत्र बंशीलाल व्यास उम्र 52 साल, जाति ब्राह्मण निवासी पुष्टिकर विप्राज गोकुल गौशाला कुण्डल के पास कुण्डल, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

<u>बनाम</u>

<u>गैर–निगरानीकर्ता/अप्रार्थीगण</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक ।
2. नरेन्द्र पुत्र चतुर्भुज व्यास निवासी उम्मेदपुरा फलोदी जिला जोधपुर।
3. संतोष पुत्र शिवकिसन व्यास निवासी कुण्डल, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
4. किरण पुत्र आन्नदीलाल व्यास निवासी कुण्डल, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
5. राणसिंह उर्फ राणाराम पुत्र नेमसिंह बेलदार निवासी कुण्डल, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
6. तिलोकाराम पुत्र मूलाराम मेघवाल निवासी कुण्डल, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

———

<u>फौजदारी निगरानी अन्तर्गत धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02. 2018 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी, पीठासीन अधिकारी डॉ0मनोज जोशी प्रकरण संख्या 243/2017 पुलिस थाना फलोदी जुर्म अन्तर्गत धारा 147, 323, 341, 447/149 भा0दं0सं0 में ।</u>

उपस्थित :–

1. श्री रोशनलाल व्यास अधिवक्ता–वास्ते निगरानीकर्ता ।
2. श्री आसुसिंह भाटी अपर लोक अभियोजक–वास्ते गैर–निगरानीकर्ता संख्या एक ।
3. श्री प्रेमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 से 6

–:: आदेश ::– **दिनाँक : 08.02.2019**

1. प्रार्थी/निगरानीकर्ता रोशनलाल द्वारा दिनांक 14.03.2018 को गैर निगरानीकर्ता राजस्थान राज्य एवं अन्य के विरूद्ध द्वारा यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2018 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई, जो न्यायालय हाजा द्वारा दर्ज रजिस्टर की गई।

2. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी से संबंधित प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/परिवादी रोशन व्यास पुत्र स्वर्गीय श्री बंशीलाल व्यास निवासी पुष्टिकर विप्राज गोकुल गौशाला कुण्डल ने पुलिस थाना फलोदी में रिपोर्ट इस मजमून की दर्ज करवाई कि मैं दिनांक 5.3.2012 से उक्त गौशाला को निरन्तर चला रहा हूॅं।, आज दिनांक 24.6.2017 को दिन में करीब 12.50 पी.एम पर गायों को पानी पिलाने के लिये गौशाला के उत्तर दिशा में गेट तरफ गायों को निकाल रहा था उस समय बृजमोहन, आनन्दीलाल, किरण, हरीश, विशम्भर, नरेन्द्र, संतोष जगदीश, राणाराम, हरचंद, तिलोकाराम और उनके साथ करीब 100 व्यक्ति जिनको मैं नहीं जानता शक्कल से पहचानता हूॅं मेरी गौशाला पर कब्जा करने की नियत से पूर्व तैयारी कर आये तथा आते ही गौशाला के गेट के ताला तोडने लगे, मैंने मना किया मगर बृजमोहन व हरीश उनके हाथों में पत्थर व हथोडा थे ताला तोडने लगे पोल के छोटे दरवाजा का ताला तोडा फिर दीवार फांद कर गौशाला में घुसकर पोल के अन्दर के 2 दरवाजे बृजमोहन व हरीश ने तोड दिये । गौशाला के गेट पोल पर लगे बेनर को बृजमोहन ने नीचे गिराकर सभी अभियुक्तगण पैरों से फाडने लगे जिस पर मैं मोबाईल से विडियो क्लिप बनाने लगा तो बृजमोहन ने पलट कर मुझ पर हमला कर दिया तो मैं नीचे गिर गया । सभी अभियुक्तगणों

ने मुझे लातो ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। बृजमोहन व हरीश ने मेरा मोबाईल छीनने का प्रयास किया। सभी अभियुक्तगण ने मोबाईल में विडियों क्लिप हटाने को कहा। हरीश ने पत्थर की मेरे सिर पर चोट मारी जिससे गुमड होकर खून आने लगा। मधुसुदन ने मुझे छुडाया। बृजमोहन हरीश वगैरा ने पोल पर अन्य बैनर लगा दिया तथा गौशाला पर कब्जा करने हेतु सभी अभियुक्तगण गौशाला में घुस गये । मैं घर गया फिर पुलिस को फोन किया पुलिस आ गई। मुझे चोटों के ईलाज हेतु डाक्टर के पास जाने तथा रिपोर्ट हेतु थाने पहुॅचने को कहा वगैरा पर प्रकरण संख्या 243/2017 धारा 143, 447, 323, 336 भा0दं0सं0 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण नरेन्द्र कुमार, किरण कुमार, संतोष, राणसिंह उर्फ राणाराम, तिलोकाराम के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 147, 341, 323, 447, 336/149 भा0दं0सं0 में अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 01.11.2017 को पेश किया गया, उसी दिन रोशनलाल न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पेश कर यह निवेदन किया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा पक्षपात पूर्ण अनुसंधान कर आरोप पत्र से मुख्य अभियुक्तगणों के नाम विलुप्त कर दिये गये और अभियोजन पक्ष के उन्हीं लोगों को गवाह बनाये गये जो अभियुक्त के पक्ष के थे। दिनांक 04.06.2017 पर गौशाला पर जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थी को जान से मारने के प्रयास करने वाले अभियुक्तगणों में से कुछ अभियुक्तगण के घटना के फोटोग्राफ लिये गये और उन्हें व्हाट्स अप, तथा फेसबुक पर अपलोड कर दिये थे, उक्त फोटों की नकल पेश कर यह निवेदन किया गया कि उक्त फोटोंग्राफ में दिखाये गये सभी लोग षडयंत्र कर साजिश करने की तैयारी के साथ जबरन करने के दोषी है इसलिये प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद इन सभी लोगों की पहचान करवाया जाकर इन्हें उक्त कृत्य का का दोषी मानते हुऐ उपरोक्त अभियुक्तगण पर अभियोजन चलाया जावे। प्रार्थी की ओर से उसी दिन एक अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में बृजमोहन, आनन्दीलाल, हरीश, विशम्भर, जगदीश के घटना में सम्मिलित होने व पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों के नाम विलुप्त किये जाने का कथन करते हुए उक्त

अभियुक्तों का नाम जोड़ कर सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 452, 120बी, 201 भा0दं0सं0 तथा धारा 86ए साईबर क्राईम एक्ट में प्रसंज्ञान लिये जाने का निवेदन किया गया जिस पर बाद गौर सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम प्रार्थना पत्र, आरोप पत्र पेश होने के पश्चात् फोटोग्राफ्स से अभियुक्तगण की पहचान करायी जाकर उन पर अभियोजन चलाये जाने का कोई आधार नहीं होना मानते हुए एवं प्रार्थना–पत्र को पत्रावली का अवलोकन करने पर इस स्तर पर पत्रावली पर उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का कोई न्यायोचित आधार उपलब्ध नहीं होने तथा न ही धारा 452, 120बी, 201, 336 भा0दं0सं0 तथा धारा 86ए साईबर क्राइम एक्ट में प्रसंज्ञान लिये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री/साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में नरेन्द्र कुमार, किरण कुमार, संतोष, राणसिंह उर्फ राणाराम, त्रिलोकाराम के विरूद्ध धारा 147, 341, 323, 447/ 149 भा0दं0सं0 में प्रसंज्ञान लिया गया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई :–

कि मौतबिर मौका व प्राथमिक गवाह सं. 2 मगतूराम तथा गवाह सं. 3 धर्माराम के बयान दर्ज किये जिसमें 100–150 आदमी आये और पत्थर फेकने लगे व गौशाला की दीवार पर चढ गये व जबरन कब्जा करने के कृत्य को स्पष्ट करता है। सारे हमलावर हमला करने की तैयारी के साथ सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार किया जो धारा 452 भा0दं0सं0 का आरोप बनता है। उक्त गवाह के बयान से यह भी तस्दीक हो रहा है कि प्रार्थी जब अपने मोबाईल से वीडियो बनाने लगा तो धक्का मुक्की हुई एवं प्रार्थी के साथ मारपीट की गई। गौशाला पर कब्जा करने और प्रार्थी पर हमला करने की साजिश की है। गॉव वाले संख्या मात्र 5 ही नहीं थे बल्कि ज्यादा थे। गवाहान के बयानों के अनुसार के अनुसार 100–150 लोगों की भीड गौशाला में आये व दीवार पर चढ कर पत्थर मारने लगे। उक्त भीड हमला करने से पहले कही किसी जगह एकत्र हुए होगे ओर हमला करने की योजना बनाई होगी, और उस साजिश के तहत यह कृत्य पाये गये तो यह अपराध

अन्तर्गत धारा 120 बी भा0दं0सं0 प्रमाणित होता है। उक्त सभी गौशाला पर कब्जा करने से पर्व एक जगह जमा होने एवं उनके आपस में कम्युनिकेशन कर एक जगह जमाव होकर हमला करने के लिये गौशाला की तरफ बढ़े इस कारण अभियुक्तगण उपस्थित वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित करने के लिये उनकी मोबाईल लोकेशन तथा कॉल डिटेल कर रेकार्ड निकलाया जाना आवश्यक है लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया एवं न ही न्याय के आधारभूत तथ्यों को सामने लाने के लिये कोई निर्देश दिये गये। पुष्टिकर विप्राज गोकुल गौशाला पर हमले का प्रार्थी द्वारा वीडियो बनाया तो उस वीडियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि गौशाला पर चढ़े हुए पॉच हमलावर लड़के अपने साथ लाये एक बैनर को लगा रहे है जिसे सीधा करने के लिये नीचे खड़ा राणसिंह कह रहा है तथा गौशाला के भीतर हमलावर लोग हमले से पूर्व गौशाला पर लगे बैनर को अपने पैरों से फाड़ रहे है जो स्पष्टतः साबित होता है। गौशाला के गेट पर लगे हुए ताले तोडे गये, हमले से पहले लगे हुए बैनर को अभियुक्तों द्वारा अपने पैरों से फाडा गया उन सभी को अभियुक्तों द्वारा गायब कर दिया । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता पेश किया और उसके समर्थन में पुष्टिकर विप्राज गोकुल गौशाला कुण्डल पर हमला करने वाले हमलावर लोगों ने इन्टरनेट के माध्यम से व्हाट्स अप, फेसबुक पर हमला करने से पहले कुण्डल गॉव में मुरली मनोहर मंदिर पर एकत्र होने, हमले की साजिश रचने, मुख्य अभियुक्तों द्वारा भीड़ को उकसाये जाने, गौशाला की तरफ आगे बढ़ने, गौशला के भीतर अनाधिकृत प्रवेश करने, गौशाला पर कब्जा जमाये जाने के फोटों अपलोड किये उन्हीं फोटों को प्रार्थी ने संग्रहित कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया उन पर गौर नहीं किया जो मूलभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल है, जिन हमलावर लोगों के नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई वे सभी उन फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहे हैं। घटना का लाईव वीडियों होने के बावजूद पुलिस ने अभियुक्तों के नाम ऐसे लोगों के बयानों के आधार पर काट दिये जो खुद गौशाला व गौशाला के संचालक पर हमले के समय हमलावर थे और हमलावरों के साथ साजिश करने में भी उनके साथ एकराय थे। पुलिस द्वारा जानबूझकर धारा 452,

120बी, 201 भा0दं0सं0 को मात्र इसलिये नहीं जोडा गया क्योंकि यह धारायें गैर जमानती है। प्रार्थी ने प्रार्थन पत्र धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के समर्थन में पेश किये गये फोटों में दिख रहे सभी लोगों के जमाव का हर सदस्य दोषी है। अतः उपरोक्त तथ्यों की समीक्षा कर विधि सम्मत सभी दोषी लोगों और नामजद अभियुक्तों के नाम जोड़े जाने और उनके विरूद्ध उनके कृत्य के अनुसार समुचित धाराओं 452, 120बी, 201 भा0दं0सं0 के जोड़े जाने का निवेदन किया गया ।

4 दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता रोशनलाल स्वयं के द्वारा निगरानी के संबंध में उपरोक्त समस्त आधारों की पुनरावृति करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किये गये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जो योग्य है। विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस के समर्थन में दस्तावेजात मय सूची पेश कर संबंधित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत S.B. Criminal Petetion No. 3227/2017 के आदेश दिनांक 20.09.2017 की प्रति पेश कर यह जाहिर किया कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व दस्तावेजों के आधार पर मामले में निष्पक्ष अनुसंधान एवं विधि अनुसार 10 दिनों में सख्ती से कार्यवाही करने का आदेश दिये जाने के बावजूद प्रकरण में जान बूझकर कार्यवाही नहीं की गई इस कारण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध उसके द्वारा S.B. Contempt Petetion No. 18/2018 की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उपरोक्त समस्त आधारों पर इस निगरानी को मंजूर किये जाने की प्रार्थना की गई।

5. इसके विपरीत गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 से 6 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश को विधि के प्रावधानों के अनुरूप है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण में बाद अनुसंधान अपने मनचाहे आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर एवं अपने मन माफिक निष्कर्ष के

आधार पर न्यायालय को गैर निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने के जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये उनको खारिज करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई समुचित कारण नहीं होने से निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभय पक्षकारान के तर्को पर गौर किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.2018 का मय पत्रावली एवं निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर अवलोकन किया गया ।

7. इस निगरानी के द्वारा न्यायालय को यह निष्कर्ष पारित करना है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 02.02.2018 सिद्ध वैध व औचित्य पूर्ण है अथवा नहीं ?

8. . इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.018 को दो आदेश पारित किये गये जिसमें प्रथम आदेश में प्रार्थी रोशन व्यास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई इस प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हस्तगत प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है तथा अभियोजन चलाने हेतु अभियुक्तगण की पहचान करवाया जाना अनुसंधान का भाग है आरोप पत्र पेश होने के बाद इस स्तर पर फोटोंग्राफ्स से अभियुक्तगण की पहचान करवाई जाकर उन पर अभियोजन विधि के किस प्रावधान के तहत चलाया जा सकता है इसका कोई न्यायोचित आधार प्रार्थी बताने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश के संदर्भ में प्रार्थी निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जावे तो यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय में उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपियों के अलावा फोटोंग्राफ्स में दिखाये देने वाले सभी लोगों की पहचान करवाया जाकर उनके विरूद्ध अभियोजन चलाये जाने की प्रार्थना की गई। प्रार्थी द्वारा स्पष्टतया न्यायालय में उक्त तथ्यों के संबधं में और कोई कार्यवाही या अनुसंधान करवाये जाने की प्रार्थना नहीं की गई और न ही प्रार्थी द्वारा इस निगरानी न्यायालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत

पीटिशन में उठाये गये आधारों को प्रार्थना पत्र के जरिये अधीनस्थ न्यायालय में उठाये गये। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान में जानबूझकर अभियुक्तगण के पक्ष के गवाहान के बयान लिये जाने से उन गवाहान के तर्क करने बाबत् इस निगरानी में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है उन तथ्यों बाबत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। जहॉ तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोंग्राफ्स के आधार पर मामले में दोषी पाये जाने वाले अन्य अभियुक्तगण की पहचान करवाये जाने का प्रश्न है यह बिन्दु जॉच साक्ष्य व विचारण से संबंधित साक्ष्य का है। प्रार्थी की ओर से इस संबंध में उक्त बिन्दुओं के आधार पर मामले में और अनुसंधान करने की प्रार्थना करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में जो पिटिशन पेश की गई उस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2017 को दिया गया एवं उसकी पालना नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कन्टेप्ट पीटिशन लम्बित है जो इस निगरानी से संबंधित नहीं है क्योंकि प्रार्थी द्वारा उक्त आधार अधीनस्थ न्यायालय में अपने प्रार्थना पत्र में नहीं उठाये गये, इस कारण यह निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र से भिन्न आधारो पर सुनवाई हेतु ग्राह्य नहीं है एवं निगरानी केवल प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार एवं इस संबंध में आक्षेपित आदेश की शुद्धता, वैधता एवं औचित्य तक सीमित है। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में बिना किसी जॉच व अनुसंधान के सीधे न्यायालय से मामले में अभियुक्तगण की पहचान करवाये जाने के संबंध में प्रार्थना की गई एवं इस संबंध में उसके द्वारा कोई विधिक प्रावधान नहीं बताया गया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से भिन्न आधारों एवं पश्चात्वृति स्टेज पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के संबंध में यह निगरानी सुनवाई हेतु योग्य नहीं है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया जिसमें उनके द्वारा किसी तरह की विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि करना नहीं पाया जाता है। दिनांक 02.02.2018 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के दूसरे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर अन्य अभियुक्तगण

के विरूद्ध एवं अन्य किसी अपराध में प्रसंज्ञान लिये जाने का कोई समुचित आधार नहीं मानते हुए उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज कर दिया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का कोई कारण स्पष्टतया नहीं लिखा गया, जबकि प्रार्थी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विभिन्न विस्तृत आधारों पर प्रस्तुत किया गया जिसमें उसके द्वारा उल्लेखित तथ्यों के मुताबिक एवं घटना के संबंध में प्रस्तुत प्रथम सूचना मजमून के मुताबिर दौराने अनुसंधान स्वयं परिवादी रोशन द्वारा यह कथन किया गया है कि दिनांक 24.6.2017 को दोपहर को उसकी गौशाला में बृजमोहन पुत्र भॅवरलाल, आनन्दीलाल पुत्र सुरजकरण व्यास, किरण कुमार पुत्र आनन्दीलाल, हरीश व्यास पुत्र नवनारायण व्यास, विशम्भर व्यास पुत्र नवनारायण, नरेन्द्र पुत्र चतुभुज व्यास, संतोष पुत्र शिवकिशन व्यास, जगदीश पुत्र दुर्गाराम मेघवाल, राणाराम पुत्र नेमाराम बेलदार, तिलोकाराम पुत्र मूलाराम, हरचंद पुत्र राधाकिशन निवासी कुण्डल और उनके साथ करीब 100 व्यक्ति को जिनको वह शक्ल से नहीं जानता उसकी गौशाला पर कब्जा करने की नियत से आये तथा गेट पर लगा ताला तोड़ने लगे उसने आवाज देकर मना किया मगर बृजमोहन व हरीश जिनके हाथों में पत्थर व हथोडा था जिन्होंने पोल के दरवाजे पर लगे ताले को तोडकर व दरवाजे फांद कर गौशाला में घुस कर पोल के अन्दर के भी दो ताले तोड़ दिये गौशाला के गेट पर लगे बैनर को बृजमोहन ने नीचे गिराकर सभी अभियुक्तगण बैनर को फाडने लगे जिस पर वह मोबाईल से विडियों क्लिप बनाया तो बृजमोहन ने पलट कर मुझ पर हमला किया तो मैं नीचे गिर गया सभी अभियुक्तगणों ने मुझे लातों, ठोकरों से मारना शुरू कर दिया। मोबाईल से विडियो क्लिप बनाने लगा तो अभियुक्तगण ने मोबाईल छीनने का प्रयास किया जिससे मेरे मोबाईल में स्क्रेज आ गये। सभी अभियुक्तों ने विडियों क्लिप हटाने का कहा व हरीश ने उसके सिर पर चोट मारी जिसे गुमडा होकर खून आने लगा । मधुसुदन ने उसको छुड़ाया । मामले में अनुसाधान में गवाह मधुसुदन के कोई बयान लिया जाना नहीं पाया जाता है। गवाह मगतूराम, धर्माराम व अन्य ने घटना में 100–150 आदमियों द्वारा मौके पर आकर पत्थर फैकना, गौशाला की दीवार पर चढ़कर हमला

करना व रोशन व्यास के विडियों बनाते हुए के साथ धक्का धुम करने की पुष्टि की है, यद्यपि इन गवाहान मौके पर राणसिंह उर्फ राणाराम, संतोष, नरेन्द्र, किरण व त्रिलोकाराम के द्वारा रोशन के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट करना एवं इन पॉचों के अलावा अन्य किसी के द्वारा मारपीट करना नहीं बताया है लेकिन इन गवाहान के कथनों से एफ.आई.आर. में नाम दर्ज अभियुक्तगण के मौके पर मौजूद होने एवं विधि विरूद्व समूह के सदस्य होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। घटना में परिवादी रोशन व्यास के सिर पर कोई चोटों का चोट प्रतिवेदन पत्रावली पर अवस्थित है जिसमें उसके शरीर पर कुल 3 चोटें कुंदालाया की सामान्य प्रकृति की होना पाये जाते है। घटना के संबंध में परिवादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत फोटोंग्राफस व मौके पर जमा भीड व विवादित गौशाला के आगे बढ़ते हुये गौशाला की पोल को खेालकर वहॉ इकठ्ठे हुए एवं उपस्थित कर विवाद को उक्त गौशाला के स्थान पर कुण्डल गौशाला का बैनर लगाये जाने के दर्शाया चित्रित है। धारा 190 दंड प्रकिया संहिता में किसी मामले में प्रसंज्ञान लेते समय न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त ईत्तला पर एवं ऐसे तथ्यों के अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर मामले में प्रसंज्ञान लेने के लिये सक्षम है। जहॉ तक किसी मामले में पुलिस रिपोर्ट से भिन्न प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का प्रश्न है धारा 242(2) दंड प्रकिया संहिता के तहत मात्र अभियोजन के आवेदन पर उसकी साक्ष्य में से किसी को हाजिर होने या कोई चीज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश दे सकता है तथा ऐसा सब स्वतंत्र साक्ष्य लेने का अग्रसर आवश्यक जो अभियोजन के समर्थन में पेश की जाए। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा बतौर परिवादी पेश किये गये समस्त तथ्यों एवं फोटोग्राफ्स जो कि पुलिस अनुसंधान में जानबूझकर नजरअंदाज कर दिये गये हो उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में विचारण में साक्ष्य की विषयवस्तु होने से उक्त दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों को अभिलेख पर लेते हुए मामले में प्रसंज्ञान हेतु प्रथमदृष्टया विधिनुसार गौर किया जाना न्यायसंगत एवं आवश्यक था। हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा दर्ज करवाये गये एफ.आई.आर में मामले में प्रसंज्ञान लिये गये अभियुक्तगण के अलावा अभियुक्तगण बृजमोहन,

आनन्दीलाल, हरीश, विशम्भर, जगदीश व हरचंद नामजद अभियुक्त है जिनको घटना में शरीक होने बाबत परिवादी द्वारा स्पष्टतया कथन करते हुए घटना के फोटोग्राफस पेश कर उनके आधार पर उनके शरीक धटना में होना प्रमाणित करते हुए उक्त साक्ष्य अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गई एवं इस संबधं में अनुसंधानकर्ता द्वारा जान बूझकर हितबद्ध गवाहान के बयान लिये जाकर उक्त अभियुक्तगण का नाम हटाये जाने का तथ्य प्रकट किया था। अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रकरण में जान बूझकर नामजद गवाह मधुसुदन के बयान नहीं लिये जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं था। एफ.आई.आर में नामजद अभियुक्तगण के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य से सभी अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर परिवादी की गौशाला पर कब्जा करने के लिये ताले तोड़कर एवं पोल को तोड़कर उसमें गृह भेदन करने एवं पोल पर लगे हुए बैनर को फाड कर व नष्ट कर रिष्टी कारित कर प्रथम दृष्टया पाया जाता है जिससे उक्त सभी नामजद 10 अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 147, 452, 341, 323, 427/149 भा0दं0सं0 का अपराध बनने पाये जाने के प्रथम दृष्टया समुचित साक्ष्य होने के बावजूद इस संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में बिना कोई समुचित कारण के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को महज सरसरी तौर खारिज करने एवं उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करके विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गई है लिहाजा इस हद तक प्रार्थी/निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध में विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

9. फलस्वरूप निगरानीकर्ता/परिवादी रोशन व्यास की ओर से प्रस्तुत निगरानी विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता राजस्थान राज्य व अन्य के विरूद्ध आंशिक रूप में स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.2018 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामगी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 190 दंड प्रक्रिया

संहिता के तथ्यों एवं समस्त दस्तावेजों के संबंध में पुनः परिवादी एवं उभय पक्षकारान को सुनकर प्रकरण में प्रसंज्ञान की स्टेज पर बिना कोई अनावश्यक देरी किये गुणावगुण पर समस्त कारणों सहित विवेचन करते हुए पुनः विवृत आदेश पारित करे। आदेश की प्रति संलग्न करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फलोदी की पत्रावली अविलम्ब प्रेषित की जावे। निगरानी पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर की जावे।

(मोहनलाल सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, फलोदी
जिला जोधपुर

आदेश आज दिनाँक 08.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहनलाल सोनी)
अपर सेशन न्यायाधीश, फलोदी
जिला जोधपुर